उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973

(उ0 प्र0 अधिनियम सं0 19, सन् 1973)

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1973

(U.P. Act No. 19 of 1973)

उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973[1]

[उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1973]

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 19, 1975

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 25, 1979

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 2005

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 22 मार्च, 1973 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने 18 अप्रैल 1973 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

'भारत संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति ने दिनांक 17 अक्टूबर, 1973 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 अक्टूबर, 1973 को प्रकाशित हुआ।]

बैंकों तथा अन्य संस्थागत उधार अभिकरणों के माध्यम से कृषि उत्पादन और विकास के निमित्त उधार की गति को पर्याप्त एवं सुगम बनाने तथा उससे सम्बन्धित अथवा उससे आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 कहलायगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना[2] द्वारा तदर्थ नियत करे।

परिभाषाएं

2–जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

[(क) 'कृषि' और 'कृषि प्रयोजन' में भूमि को खेती योग्य बनाना, खेती करना, भूमि सुधार (जिसके अन्तर्गत सिंचाई के स्रोतों का विकास करना भी है, फसलों का उगाना और उनकी कटाई करना, उद्यान कृषि, वन विज्ञान, पशु प्रजनन, पशु पालन, दुग्ध उद्योग, शुक पालन, कुक्कुट पालन, बीज–कृषि, मत्सय पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, और ऐसे अन्य क्रिया–कलाप सम्मिलित है जिन्हें सामान्यतः उपर्युक्त क्रिया–कलापों में से किसी में लगे व्यक्तियों द्वारा किया जाता हों। और इनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है –

(1) कृषि उत्पादन का क्रय–विक्रय, उनका संग्रह और परिवहन,

---

1. उद्देश्यों और कारणों के लिये दिनांक 15 मार्च, 1973 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।
2. यह अधिनियम विज्ञप्ति सं. आई. एफ. 3001/दस–1–1973, दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1974 से प्रभावी हुआ।

(2) ऐसे किसी भी क्रिया—कलाप से संबन्धित उपकरणों और मशीन का अर्जन,

(3) गोबर गैस संयंत्रों का अर्जन, और

(4) कृषि सेवा केन्दों की स्थापना और उनका अनुरक्षण।

["प्रतिबन्ध यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि पर व्यक्तिगत प्रयोग के लिये किसी गृह के निर्माण या उसकी मरम्मत, आधुनिकीकरण या विस्तार और गैर परम्परागत या वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्र एवं मशीन का क्रय, संग्रह और अर्जन या उससे सम्बन्धित अन्य विषयों को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कृषि प्रयोजन समझा जाएगा।"][1]

''स्पष्टीकरण :— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये पद ''कृषि सेवा केन्द्रों'' का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या कर्मशाला से है, जहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षित उद्यमी बीज, उर्वरक कीटनाशी, नाशि—कीटमार या कृषि उपयोग के अन्य माल का विक्रय या किराये पर ट्रैक्टर या अन्य मशीनी प्रक्रिया द्वारा अन्य व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि के संबंध में कृषि क्रिया या कृषि उपकरणों की मरम्मत का कार्य करते हैं।[2]

(ख) "कृषक" का तात्पर्य कृषि में लगे व्यक्ति से है ;

(ग) "बैंक" का तात्पर्य;

(1) बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1949 में यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी ; **ऐक्ट संख्या 10, 1949**

(2) स्टेट बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1955 के अधीन संघटित स्टेट बैंक आफ इंडिया ; **ऐक्ट संख्या 23, 1955**

(3) स्टेट बैंक आफ इंडिया (सब्सीडियरी बैंक्स) ऐक्ट, 1959 में यथा परिभाषित सब्सीडियरी बैंक ; **ऐक्ट संख्या 37, 1959**

(4) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन संगठित तत्सम्बन्धी नये बैंक ; **अधिनियम संख्या 5, 1970**

[(5) कोई वित्त पोषक बैंक या केन्द्रीय बैंक जैसा कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में परिभाषित है) जो भूमि विकास बैंक न हो;][3]

(6) एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1963 के अधीन संगठित कृषि पुनर्वित्त नियम; **ऐक्ट संख्या 10, 1963**

(7) कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन निगमित उत्तर प्रदेश स्टेट ऐग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, लिमिटेड नामक कम्पनी, **ऐक्ट संख्या 1, 1956**

(8) कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन निगमित एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कारपोरेशन, लिमिटेड कम्पनी; और **ऐक्ट संख्या 1, 1956**

["(8क) रीजनल रूरल बैंक ऐक्ट, 1976 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित किसी रीजनल रूरल बैंक;][4]

(9) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा बैंक के रूप में, गजट में अधिसूचित किसी अन्य वित्तीय संस्था, से है;

(घ) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी गयी सहकारी समिति से है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देना हो, तथा इसके अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक भी है; **उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966**

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं. 24, 2005 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं. 25, 1979 की धारा 2 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं. 19, 1975 की धारा 2 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं. 25, 1979 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

(ङ) "वित्तीय सहायता" का तात्पर्य ऋणों, अग्रिम, प्रत्याभूति या अन्य रूप में (1) या तो किसी कृषक को कृषि प्रयोजनार्थ, अथवा (2) किसी सहकारी समिति को कृषि प्रयोजनार्थ अपने सदस्यों को ऋण तथा अग्रिम देने के लिए [चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व या पश्चात् स्वीकृत][1] सहायता से है ;

(च) "भौमिक अधिकारों से सम्बन्धित विधि" का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम 1950 उत्तर प्रदेश नागर–क्षेत्र जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1956 जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1956 कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमीदारीं विनाश तथा भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1960, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 अथवा उत्तर प्रदेश अधिनियम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 से है ;

(छ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विहित से है।

अध्याय–2

बैंकों के पक्ष में भूमि अथवा भूमि में हित को संक्रमण करने का कृषकों का अधिकार

संक्रमण के अधिकार ऐसे कृषकों में निहित करना जिसके पास ऐसे अधिकार न हों

[**3**–राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बधनों के अधीन रहते हुये जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किये जाये, समस्त भूमिधरों, [* * *][2] असामियों और सरकारी पट्टेदारों को उनके खाते के अधीन घृतभूमि का अथवा उक्त भूमि में उनके किसी हित का जिसके अन्तर्गत ऐसी भूमि या हित पर कोई प्रभार सृजित करने अथवा उसे बन्धक रखने का अधिकार भी है बैंकों के पक्ष में सामान्यतया अथवा किन्हीं निर्दिष्ट वर्ग के बैंकों के पक्ष में, ऐसे बैंकों से वित्तीय सहायता लेने के प्रयोजनार्थ, संक्रमण करने का अधिकार विहित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने पर, ऐसे भूमिधर, [* * *][2] आसामी और सरकारी पट्टेदार को, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी संविदा, अनुदान अथवा अन्य संलेख इसके प्रतिकूल किसी बात के, या किसी रूढ़ि या परम्परा के होते हुये भी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार संक्रमण करने का अधिकार होगा।][3]

बैंक के पक्ष में फसल तथा अन्य जंगम सम्पत्ति पर प्रभार

4–(1) किसी कृषक के लिये किसी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निमित्त अपने स्वामित्वाधीन जंगम सम्पत्ति अथवा अपने द्वारा उगाई गयी फसल पर, चाहे वर खड़ी हो, अथवा न खड़ी हो, या अपने द्वारा कृष्ट भूमि की अन्य उपज पर, उस सीमा तक जहां तक उसमें उसका हित हो, उस बैंक के पक्ष में, प्रभार सृजित करना वैध होगा, भले ही वह ऐसे भूमि का, [जिस पर तथा जिससे फसल या उपज उगाई जाये,] [4] स्वामी न हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 [* * *][5] अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, किसी कृषक द्वारा किसी सहकारी समिति को देय किसी ऋण अथवा अन्य बकाया मांग के संबंध में किसी प्रभार को, उसके द्वारा उगाई गई फसल चाहे वह खड़ी हो या न खड़ी हो, अथवा किसी अन्य जंगम से पूर्विकता न मिलेगी, बशर्ते बैंक द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता सहकारी समिति के ऋण या मांग से समय की दृष्टि में पूर्व की हो।

1. उ. प्र. अधिनियम सं. 19, 1975 की धारा 2 (3) द्वारा रखे गये सदैव से रखे गये समझे जायें।
2. उ. प्र. अधिनियम संख्या, 25, 1979 की धारा 3 द्वारा निकाले गये।
3. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 4 (ख) द्वारा निकाले गये।

5–[* * *][1] उपज व जंगम की कुर्की व बिक्री

6–[(1) कोई कृषक जो ऐसी भूमि अथवा किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति पर, जो उसके स्वामित्व में हो अथवा जिसमें उसका कोई हित हो, प्रभार सृजित करके किसी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में या परिस्थितियों के अनुसार लगभग उसी प्रकार के प्रपत्र में यथाविधि स्टाम्पित पत्र पर यह घोषणा कर सकता है कि इसके द्वारा वह, यथास्थिति ऐसी भूमि अथवा उसमें अपने हित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर, बैंक के पक्ष में प्रभार सृजित करता है।][2] घोषणा द्वारा बैंक के पक्ष में भूमि पर प्रभाव सृजित करना

(2) उपधारा (1) के अधीन की गयी घोषणा में उस बैंक की सहमति से, जिसके पक्ष में घोषणा की गई है, कृषक द्वारा समय–समय पर फेरफार की जा सकती है।

[**6-क**–जहां किसी कृषक द्वारा धृत कोई भूमि कृषक द्वारा बैंक के पक्ष में सृजित प्रभार या बन्धक के अधीन हो और उक्त भूमि में कृषक का अधिकार, हक तथा हित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अध्याय 4 के अधीन अन्तिम चकबन्दी योजना के लागू किये जाने के फलस्वरूप समाप्त हो गया हो तो ऐसा प्रभार या बन्धक कृषक को आवंटित तत्सम भूमि के और उक्त योजना के अधीन देय प्रतिकर यदि कोई हो, अन्तरित और उससे वद्ध हो जायगा][3] चकबन्दी क्रियाओं के दौरान आवंटित भूमि के प्रभार या बन्धक का अन्तरण

अध्याय–3

बैंकों के पक्ष में प्रभार तथा बंधक और उनकी पूर्विकताय

7–[उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 तथा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी][4] तथा इस बात के होते हुये भी कि कोई भूमि अथवा उसमें निहित हित पहले से ही किसी सहकारी समिति के प्रति भारित अथवा वंधकित है किसी कृषक के लिये बैंक के पक्ष में ऐसे बैंक द्वारा उसे दी गई किसी वित्तीय सहयता के निमित्त प्रतिभूति स्वरूप ऐसी भूमि अथवा उसमें हित को पारित करना या बंधक रखना वैध होगा। प्रभार सृजित करने तथा बन्धक रखने में निर्योग्यता का हटाया जाना उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 11, 1966

8–(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 39 अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि–विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी– सरकार, बैंक तथा सहकारी समिति के पक्ष में प्रभारी और बन्धकों की पूर्विकता

(क) सरकार के पक्ष में किसी भूमि अथवा उस में हित सृजित किसी प्रभार या बन्धक को किसी ऐसे अन्य प्रभार या बंधक पर पूर्विकता दी जायगी जो किसी कृषक द्वारा ऐसी भूमि या हित पर सरकार के पक्ष में सृजित प्रभार या बंधक के दिनाँक के पूर्व बैंक या सहकारी समिति के पक्ष में सृजित किया गया हो,

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 19, 1975 की धारा 5 द्वारा लोप की गई।
2. उपर्युक्त की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 7 द्वारा बढ़ाई गयी।
4. उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) किसी भूमि अथवा उसमें हित पर किस बैंक के पक्ष में बैंक द्वारा कृषक को प्रदत्त वित्तीय सहायता के संबन्ध में सृजित प्रभार अथवा बंधक को सरकार, सहकारी समिति अथवा अन्य किसी बैंक से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में ऐसी भूमि या उसके हित पर सृजित किसी ऐसे प्रभार अथवा बंधक की अपेक्षा पूर्विकता प्राप्त होगी जो उक्त बैंक के पक्ष में सृजित प्रभार अथवा बंधक के दिनाँक के पूर्व सृजित किया गया हो ;

(ग) जहां किसी कृषक द्वारा किसी सहकारी समिति अथवा बैंक अथवा एकाधिक बैंक के पक्ष में एक ही भूमि अथवा उसमें हित पर विभिन्न प्रभार अथवा बंधक सृजित किये गये हों, वहां विकास प्रयोजनार्थ दीर्घकालीन ऋण के रूप में सहकारी समिति अथवा बैंक या बैंकों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता की प्रतिभूति के रूप में सृजित ऐसे प्रभार अथवा बंधक को सहकारी समिति अथवा अन्य बैंकों के पक्ष में सृजित अन्य प्रभारों अथवा बंधकों की अपेक्षा पूर्विकता दी जायगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सहकारी समिति अथवा बैंक को विकास के प्रयोजनार्थ दीर्घकालीन ऋण के रूप में ऐसी वित्तीय सहायता की पूर्व नोटिस दे दी गयी हो तथा ऐसी सहकारी समिति अथवा ऐसे बैंक ने ऐसी वित्तीय सहायता के निमित्त सहमति दे दी हो, एवं जहां दीर्घकालीन ऋण के रूप में दी गई वित्तीय सहायता के निमित्त प्रतिभूति के रूप में एकाधिक ऐसा प्रभार या बन्धक सृजित हुआ हो वहां विकास प्रयोजनार्थ दीर्घकालीन ऋण की प्रतिभूति के रूप में ऐसे प्रभारों अथवा बंधकों को उनके सृजित होने के दिनाँक के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी।

स्पष्टीकरण–– इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "विकास प्रयोजनार्थ दीर्घकालीन ऋण" का तात्पर्य ऐसी वित्तीय सहायता से है जिसकी परिणति सामान्य या कृषि के विकास अथवा कृषीय परिसंपत्तियों के निर्माण में हो किन्तु इसके अन्तर्गत लागत पूंजी परिवयों, मौसमी कृषीय क्रियाओं तथा फसलों के क्रय–विक्रय में लगाने के निमित्त वित्तीय सहायता नहीं है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1964

(2) इस धारा में कोई भी बात केवल एक या एकाधिक सहकारी समिति या समितियों, जिसके अन्तर्गत भूमि विकास बैंकों अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 में यथापरिभाषित राज्य भूमि विकास बैंक भी है, मात्र से ऋण ग्रहण पर लागू नहीं होगी।

बैंकों के पक्ष में प्रभार तथा बन्धक का रजिस्ट्रीकरण

अधिनियम संख्या 16, 1908

9–(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा प्रभार जिनके संबंध में धारा 6 की उपधारा (1) को अधीन घोषणा की गई हो अथवा जिसके संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन फेरफार की गई हों अथवा किसी भूमि अथवा उसमें हित पर अथवा अन्य स्थावर संपत्ति पर किसी कृषक द्वारा किसी बैंक के पक्ष में उक्त बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में निष्पादित बन्धक उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे प्रभार, फेरफार अथवा बंधक, जैसी भी दशा हो, के निष्पादन के दिनाँक से रजिस्ट्रीकृत माना जायगा बशर्ते कि बैंक ने उसे उप–रजिस्ट्रार के पारा, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर भारित अथवा बंधकित संपत्ति पूर्णतः अथवा अंशतः स्थित हो, ऐसे निष्पादन के दिनाँक से एक महीने के भीतर प्राप्ति स्वीकृति सूचक रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसा प्रभार, फेरफार अथवा बंधक सृजित करने वाले लेख्य की बैंक के किसी ऐसे नियोजिती द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि, जो तदर्थ हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत हो, भेज दी गई हो, तथा उप–रजिस्ट्रार ने उसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 51 के अधीन विहित बुक संख्या 1 में लगा दिया हो।

[(2) उप–रजिस्ट्रार, उपधारा (1) में अभिदिष्ट लेख्य की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, यथाशक्ति शीघ्र तथा यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् कि उक्त लेख्य यथाविधि स्टाम्पिट किया गया हो, उसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 के अधीन विहित बुक संख्या 1 में लगा देगा।

(3) जहां उप–रजिस्ट्रार की यह राय हो कि उक्त लेख्य यथाविधि स्टाम्पित नहीं किया गया है अथवा उसमें आकस्मिक भूल या लोप से उद्भूत होने वाली कोई त्रुटि हो तो वह लेख्य को प्रतिलिपि वो बैंक के पास यह अपेक्षा करते हुये वापस कर देगा कि बैंक तीस दिन अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे उप–रजिस्ट्रार तदर्थ अनुज्ञा करें, मूलप्रति के समबन्ध में स्टाम्प शुल्क की कमी को पूरा करा दें अथवा त्रुटि को दूर करा दें।

(3–क) इन्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 में किसी बात के होते हुए भी, बैंक कमी को पूरा करेगा या त्रुटि को दूर करायेगा।][1]

(4) स्टाम्प की कमी पूरित होने [या त्रुटि दूर किये जाने, जैसी भी दशा हो,][2] के उपरान्त बैंक उपधारा (1) में उल्लिखित रीति से लेख्य की प्रति उप–रजिस्ट्रार के पास फिर भेजेगा तथा उप–रजिस्ट्रार तदुपरान्त उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार उनकी प्रति बुक संख्या 1 में लगा देगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी के होते हुए भी, कृषक अथवा बैंक के किसी अधिकारी के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह स्वयं अथवा एजेंट द्वारा ऐसे लेख्य के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में अथवा उक्त अधिनियम की धारा 58 के अधीन विहित रीति से हस्ताक्षर करने के निमित्त रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हो।

अधिकार अभिलेख में प्रभार या बंधक को दर्ज करना

[**9-क**—जहां प्रभार सृजित करने, फेरफार करने या बंधक रखने के लेख की प्रतिलिपि धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये भेजी गयी हो तो बैंक तहसीलदार या ऐसे अन्य पदाधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त किया जाए, ऐसे प्रभार, फेरफार या बंधक की विशिष्टियों की सूचना दे सकेगा। उक्त तहसीलदार या अन्य पदाधिकारी प्रभार, फेरफार या बंधक की विशिष्टियों की उस भूमि से जिस के संबंध में ऐसा प्रभार सृजित किया गया हो या फेरफार किया गया हो, या बंधक रखा गया हो, संबंधित अधिकार अभिलेख में दर्ज करेगा।

उन्मोचन प्रमाणपत्र का रजिस्ट्रीकरण

9-ख—जहां किसी भूमि या उसमें विहित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर प्रभार या उसके बंधक के संबंध में किसी घोषणा या फेरफार की धारा 9 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण किया गया हो और उसके द्वारा प्रतिभूति वित्तीय सहायता की धनराशि का भुगतान बैंक को कर दिया गया हो अथवा ऋण के अन्य प्रकार से उन्मोचित कर दिया गया हो तो बैंक इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी करेगा और उक्त धारा के उपबंध ऐसे प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।][3]

कृषक उधार गृहीता द्वारा काष्तकारी अधिकार सृजित करने पर निर्बन्धन

10–(1) भौमिक अधिकारों से सबंधित किसी विधि अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई कृषक जिसने किसी बैंक से उस अथवा उसमें हित पर प्रभाव या बंधक सृजित करके वित्तीय सहायता प्राप्त की हो, उस अवधि तक जब कि वित्तीय सहायता की धनराशि उस पर बाकी रहे न तो बिना बैंक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के ऐसी भूमि अथवा उसमें हित की पट्टे पर उठायेगा और न उनमें किसी भी प्रकार काश्तकारी के अधिकार उत्पन्न करेगा और न ही ऐसी भूमि अथवा हित के संबंध में किसी व्यक्ति के अनधिकृत अध्यासन से अथवा विपरीत अध्यासन से ऐसे कोई अधिकार प्रोद्भूत होंगे।

---

1. उ. प्र. अधिनियम संख्या 19, 1975 की धारा 9 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 9 (ख) द्वारा बढ़ाये गये।
3. उपर्युक्त की धारा 10 द्वारा बढाई गयी।

(2) इस धारा का उल्लंघन करके प्रदत्त कोई पट्टा अथवा सृजित कोई काश्तकारी अधिकार शून्य होंगे।

अध्याय–4

बैंकों द्वारा देयों की वसूली

न्यायालय के आदेशिका द्वारा कुर्की और बिक्री पर रोक को हटाना

[**10-क**–किसी विधि की कोई बात बैंक को किसी ऐसी भूमि या उसमें हित को जिसे कृषक ने कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये बैंक को प्रभारित या बन्धकित किया हो, सिविल न्यायालय के माध्यम से कुर्क करने और बेचने से, और ऐसी बिक्री के आंगम को उस कृषक द्वारा देय समस्त धन जिसके अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दिलाया गया व्यय तथा खर्च भी है, के प्रति लगाने से किसी प्रकार से न रोकेगी।

उपज तथा जंगम वस्तुओं का अभिहरण और विक्रय

10-ख–(1) जहां किसी कृषक को दी गयी किसी वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में कोई राशि उसके देय होने के दिनाँक को असंदत्त रह जाय तो वित्तीय सहायता देने वाला बैंक अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को यह आवेदन–पत्र दे सकेगा कि वह बैंक के पक्ष में प्रभारित जंगम सम्पत्ति या फसल या अन्य उपज का अभिहरण तथा उसकी बिक्री करके वसूली के व्यय सहित देय राशि की वसूली करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम, 1063 को उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों ऐसा आवेदन–पत्र उस उपधारा में अभिदिष्ट राशि की वसूली को कराने के लिये जंगम संपत्ति को विक्रय के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उक्त उपधारा में अभिदिष्ट सम्पत्ति का अभिग्रहण तथा उसकी बिक्री करने के प्रयोजनार्थ कार्यवाही विहित रीति से कर सकेगा।

(4) इस प्रकार वसूल की गयी कोई राशि वसूली के व्यय को काटने और सरकारी देयों या अन्य पूर्विक प्रभार को, यदि कोई हो, चुकाने के पश्चात् बैंक को अन्तरित कर दी जायगी][1]

विहित प्राधिकारी के माध्यम से किसी बैंक के देयों की वसूली

11–[(1) तत्समय प्रवत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकारी (जिसे आगे विहित प्राधिकारी कहा गया है) किसी बैंक के आवेदन पर आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि किसी कृषक को दी गयी वित्तीय सहायता के फलस्वरूप बैंक को देय धनराशि का भुगतान उस भूमि अथवा उसमें किसी हित या अन्य स्थावर सम्पत्ति का, जो ऐसी धनराशि का भुगतान करने के लिए प्रभारित अथवा वन्धकित हो, विक्रय करके किया जाय:

प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के अधीन विक्रय का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि कृषक पर देय धनराशि का भुगतान करने के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा नोटिस तामील न कर दिया गया हो।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1975 की धारा 11 द्वारा बढ़ाई गयी।

(1—क) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के संबंध में परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा आवेदन उक्त उपधारा में अभिदिष्ट राशि की वसूली को कराने के लिए भूमि या उसमें हित या अन्य स्थावर सम्पत्ति की बिक्री के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद हो।][1]

(2) विहित प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश, धारा 12 के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अंतिम तथा दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(3) उपधारा (1) के अर्थ में विहित प्राधिकारी अथवा धारा 12 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और उसका निष्पादन अधिकारितायुक्त सिविल न्यायालय द्वारा उसी प्रकार किया जायगा जिस प्रकार ऐसे न्यायालय की किसी डिक्री का निष्पादन किया जाता है।

(4) [* * *][2]

वैयक्तिक प्रतिभूति की दशा में वसूली

[11-क—(1) जहां बैंक द्वारा किसी कृषक को वित्तीय सहायता के रूप में कोई धनराशि प्रदान की जाय और कृषक देय दिनाँक को ब्याज सहित धनराशि का भुगतान करने में असफल रहे तो, धारा 10—ख और 11 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक का स्थानीय प्रधान अधिकारी चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाता हो, कृषक द्वारा देय धनराशि का उल्लेख करते हुए कलेक्टर को, विहित रीति से, प्रमाण—पत्र भेज सकेगा।

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रमाण—पत्र उस दिनाँक से जब प्रमाण—पत्र में निर्दिष्ट धनराशि देय हो जाय, तीन वर्ष के भीतर कलेक्टर को भेजा जा सकेगा।

(3) प्रमाण—पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर वसूली के व्यय सहित कृषक से उसमें निर्दिष्ट धनराशि को भू.राजस्व के बकाये के रूप मे वसूली करने की कार्यवाही करेगा, और बैंक को देय धनराशि का, वसूली के व्ययों को काटने और, किन्ही सरकारी देयों या अन्य पूर्विक प्रभारों यदि कोई हों, को चुकाने के पश्चात् भुगतान किया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "कलेक्टर" का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है जहाँ कृषक साधारणतया निवास करता हो अथवा धारा 2 के खण्ड (क) में अभिदिष्ट क्रिया कलाप करता हो अथवा जहां कृषक की कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति स्थित हो, और इसके अन्तर्गत उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है।][3]

अपील

12–(1) कोई पक्षकार, जो धारा 11 के अधीन विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध हो, आदेश के दिनाँक से तीन दिन की अवधि के भीतर ऐसे अपीलीय प्राधिकारी के, जिसे राज्य सरकार बजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, समक्ष अपील कर सकता है।

(2) अपीलीय प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने और उसका निस्तारण करने के लिये बैंक का अधिकार

[12-क—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बैंक को किसी ऐसी भूमि या उसमें हित अथवा किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति हो, जिसे कृषक ने अपने को प्रदान की गयी किसी वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में बैंक को प्रभारित या बन्धकित किया गया हो, स्वयं अर्जित करने का अधिकार होगा।

---

1. उ. प्र. अधिनियम संख्या 19, 1975 की धारा 12 (क) प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 12 (क) द्वारा लोप की गयी।
3. उ. प्र. अधिनियम सं० 19, 1975 की धारा 13 द्वारा बढ़ायी गयी।

(2) जहां कोई बैंक उपधारा (1) के अधीन कोई भूमि या उसमें हित अथवा कोई अन्य स्थावर सम्पत्ति अर्जित करता है तो वह, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उतने समय के भीतर जो विहित किया जायगा, किसी कृषक के पक्ष में ऐसी भूमि, उसमें हित या सम्पत्ति का विक्रय द्वारा निस्तारण करेगा।

(3) यदि बैंक को उपधारा (1) के अधीन अर्जित किसी भूमि को उसकी बिक्री होने तक जैसा कि उपधारा (2) में इंगित है, पट्टे पर देना है, तो पट्टे की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक न होगी, और पट्टेदार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, उस सम्पत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा।

विधिक प्रतिनिधियों से देयों की वसूली

12-ख–(1) जहां कृषक को प्रदत्त की गयी वित्तीय सहायता से संबंधित देयों के पूर्णतः चुकाये जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय तो धारा 10–ख में अभिदिष्ट बैंक या तहसीलदार या धारा 11 में अभिदिष्ट विहित प्राधिकारी या धारा 11–क में अभिदिष्ट कलेक्टर देयों की वसूली के लिये कृषक के विधिक प्रतिनिधियों के विरूद्ध कार्यवाही कर सकेगा।

(2) जहां ऐसे विधिक प्रतिनिधियों के विरूद्ध वसूली के लिए कार्यवाहियां की जायें तो वे मृतक का केवल उस सम्पत्ति तक जो उन्हें प्राप्त हुई हो और जिसका सम्यक रूप से निस्तारण न किया गया हो, उत्तरदायी होंगे और ऐसे दायित्व को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, तहसीलदार, विहित प्राधिकारी या कलेक्टर, स्वयं या बैंक के आवेदन पर ऐसे विधिक प्रतिनिधियों को ऐसा लेखा प्रस्तुत करने के लिए, जिसे वह उचित समझे, बाध्य कर सकता है।

प्रतिभुओं से देयों की वसूली

12-ग–कृषक और उसके विधिक प्रतिनिधियों से देयों की वसूली से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी प्रतिभू से, जिसमें किसी कृषक के व्यतिक्रम करने की दशा में उसके दायित्व का निर्वहन करने अथवा किसी वचन का पालन करने के लिये प्रत्याभूति की कोई संविदा की हो, और ऐसे प्रतिभू के विधिक प्रतिनिधियों से, ऐसे देयों की वसूली पर आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।][1]

अध्याय–5

बैंकों द्वारा सहकारी समितियों का वित्त पोषण

रजिस्ट्रार की परिभाषा

13–इस अध्याय में, रजिस्ट्रार का तात्पर्य रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश से है, और इसके अन्तर्गत, सिवाय जहाँ प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित हो, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई अन्य अधिकारी भी है।

बैंक किसी समिति का सदस्य बनने के लिये पात्र होगा

[**13–क**–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, बैंक का किसी सहकारी समिति का सदस्य होना विधिपूर्ण होगा।

बैंक से उधार लेने के लिये सहकारी समि– तियों की शक्ति

13–(ख)–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, की धारा 60 की कोई बात किसी सहकारी समिति को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बैंक से उधार लेने के लिए वर्जित न करेगी।][2]

बैंक द्वारा सहकारी समिति की बहियों का निरीक्षण

14–(1) बैंक को किसी भी सहकारी समिति की, जिसने या तो बैंक को वित्तीय सहायता के निमित्त आवेदन–पत्र दिया हो अथवा पहले दी गई वित्तीय सहायता के कारण बैंक का ऋणी हो, वहियों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1975 की धारा 14 द्वारा बढ़ाई गई।
2. उपर्युक्त की धारा 15 द्वारा बढ़ाई गई।

(2) उक्त निरीक्षण, रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व स्वीकृति से, बैंक के किसी अधिकारी उसके सवेतन कर्मचारी वर्ग के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जा सकता है।

(3) बैंक का ऐसा अधिकारी अथवा कर्मचारी वर्ग का अन्य सदस्य, सभी युक्तियुक्त समय पर सहकारी समिति की अथवा, उसकी अभिरक्षा में रखी लेखा–वहियों, लेख्यों, प्रति भूतियों, रोकड़ तथा अन्य सम्पत्तियों को देख सकेगा और उसे ऐसी समिति द्वारा ऐसी सूचना विवरण–पत्र तथा विवरणियां भी दी जायेंगी जो समिति की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने और समिति को दी गई अथवा दिये जाने के लिए प्रस्तावित वित्तीय सहायता के सुरक्षार्थ उसे अपेक्षित हो।

किसी बैंक तथा सहकारी समिति के मध्य विवाद

15–(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, समिति अथवा उसकी कमेटी द्वारा समिति के किसी सवेतन के विरूद्ध की गई आनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित विवादों से भिन्न, सहकारी समिति को वित्तीय सहायता देने वाले बैंक तथा ऐसी सहायता प्राप्त करने वाली सहकारी समिति के मध्य सहकारी समिति के संगठन, प्रबन्ध अथवा कार्य से संबन्धित कोई विवाद निर्णय के लिये विवाद के किसी पक्षकार द्वारा रजिस्ट्रार को अभिदिष्ट किया जायगा।

[**स्पष्टीकरण**–किसी सहकारी समिति को दी गयी वित्तीय सहायता के संबंध में उससे अपने देयों की वसूली के लिए किसी बैंक द्वारा किया गया दावा विवाद समझा जायगा जिसे इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रार को अभिदिष्ट किया जायगा।][1]

(2) पूर्ववर्ती उपधारा के प्रयोजनाथ यदि यह प्रश्न उठे कि निर्णय के लिए अभिदिष्ट कोई मामला विवाद है अथवा नहीं तो यह प्रश्न रजिस्ट्रार द्वारा निर्णीत किया जायगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

विवादों का निपटारा

16–(1) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि कोई मामला जो उसे अभिदिष्ट किया गया है अथवा उसकी जानकारी में लाया गया है, धारा 15 के अन्तर्गत विवाद है तो रजिस्ट्रार स्वयं विवाद का निर्णय करेगा अथवा उसे अपने द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के पास निस्तारण के लिये अभिदिष्ट कर देगा।

(2) यदि पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन कोई विवाद रजिस्ट्रार के नामांकिती के पास अभिदिष्ट किया जाय तो रजिस्ट्रार ऐसे विवाद को किसी भी समय उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अपने नामांकिती से वापस ले सकता है और विवाद को स्वयं निर्णीत कर सकता है अथवा उसे पुनः अपने द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के पास निर्णयार्थ अभिदिष्ट कर सकता है।

(3) यदि रजिस्ट्रार की यह राय हो कि किसी सहकारी समिति और किसी बैंक के मध्य विवादग्रस्त प्रश्न ऐसा है जिसमें विधि तथा तथ्य संबंधी जटिल प्रश्न सन्निहित है तो वह, आदर्श द्वारा उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही तब तक के लिये रोक सकता है, जब तक कि प्रश्न का विचारण विवाद के किसी पक्षकार द्वारा संस्थित नियमित वाद द्वारा न हो जाय। यदि ऐसे आदेश के दो मास के भीतर कोई वाद संस्थित न किया जाय तो रजिस्ट्रार उपधारा (1) में व्यवस्थित कार्यवाही करेगा।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1975 की धारा 16 द्वारा बढ़ाया गया।

रजिस्ट्रार अथवा उसके नामांकिती का निर्णय

17–(1) जब विवाद निर्णयार्थ अभिदिष्ट किया जाय तो रजिस्ट्रार अथवा उसका नामांकिती विवाद के पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद, कार्यवाही के संबंध में विवाद के पक्षकारों द्वारा किये गये व्यय और रजिस्ट्रार अथवा उसके नामांकिती को देय फीस तथा व्यय के संबंध में अभिनिर्णय देगा। ऐसा अभिनिर्णय केवल इस आधार पर अविधिमान्य न होगा कि वह रजिस्ट्रार द्वारा विवाद का निर्णय करने के लिये निश्चित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दिया गया और केवल उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 96 के अधीन संगठित सहकारी न्यायाधिकरण की अपील किये जाने के अधीन रहते हुए, विवाद के पक्षकारों पर बन्धनकारी होगा।

(2) माध्यस्थम अधिनियम, 1940 की कोई बात ऐसे अभिदेश अथवा अपील पर लागू न होगी।

(3) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रार या उसके नामांकित के अभिनिर्णय से क्षुब्ध हो, उस दिनाँक से जो ऐसे व्यक्ति को ऐसा अभिनिर्णय समूचित किया जाय, तीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है।

(4) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई करने के पश्चात् न्यायाधिकरण ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह ठीक समझे।

अभिनिर्णय की धनराषि की वसूली

18–रजिस्ट्रार अथवा उसके नामांकित द्वारा अथवा धारा 17 के अधीन सहकारी न्यायाधिकरण द्वारा अपील पर दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायगा और उसका निष्पादन अधिकारितायुवत सिविल न्यायालय द्वारा उसी प्रकार किया जायगा जिस प्रकार ऐसे न्यायालय की किसी डिक्री का निष्पादन किया जाता है।

किसी सहकारी समिति के बाकीदार सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही करने की बैंक की शक्ति

19–(1) यदि कोई सहकारी समिति, अपने सदस्यों द्वारा देय धनराशि का भुगतान न करने के कारण उस बैंक का जिससे उसने ऋण लिया है अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो, तो बैंक ऐसी समिति की कमेटी को ऐसे सदस्यों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन कार्यवाही करने का निर्देश दे सकती है।

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 11, 1966

(2) यदि सहकारी समिति की कमेटी बैंक से ऐसा निदेश प्राप्त होने के दिनाँक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपने बाकीदार सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही करने में चूक करें तो बैंक स्वयं ऐसे बाकीदार सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है अैर उस दशा में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 और तद्धीन बनाये गये नियमों तथा उप विधियों के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों उक्त अधिनियम, नियमों तथा उप विधियों में समिति अथवा उसकी कमेटी से संबंधित सभी अभिदेश बैंक के लिये अभिदेश हों।

(3) [उत्तर प्रदेश सहकारी, समिति अधिनियम, 1965 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी बैंक ने][1] किसी सहकारी समिति के विरूद्ध जो उसके ऋणी हों, डिक्री या अभिनिर्णय प्राप्त कर लिया हो तो बैंक ऐसी धनराशि को प्रथमतः सहकारी समिति की परिसंपत्तियों से तथा द्वितीय सहकारी समितियों के सदस्यों से, उस सीमा तक जहां तक उनके द्वारा समिति को ऋण देय हो, वसूल करने की कार्यवाही कर सकता है :

[प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई ऐसा सदस्य जो उपधारा (2) में अभिदिष्ट किन्हीं कार्यवाहियों का पक्षकार नहीं था अपने द्वारा समिति के देय ऋण के होने के संबंध में या उसकी धनराशि के संबंध में आपत्ति करता है तो उस आपत्ति का विनिश्चय समुचित निष्पादन कार्यवाहियों में किया जायगा।][2]

1. उ. प्र. अधिनियम संख्या 19, 1975 की धारा 17 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 17 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

20–रजिस्ट्रार, सहकारी समिति को वित्त पोषित करने वाले बैंक का ध्यान उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 अध्याय 8 के अधीन ऐसी समिति के संबंध में की गयी प्रत्येक लेखा परीक्षा अथवा जांच या निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों की ओर आकर्षित करेगा और ऐसी लेखा परीक्षा, जांच अथवा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति, यदि बैंक द्वारा लिखित रूप में मांगी जाये, उसे देगा।

समितियों की लेखा परीक्षा, निरीक्षण तथा जांच रिपोर्ट बैंकों को उपलब्ध होंगी

अध्याय–6

प्रकीर्ण

21–साहूकारी अथवा कृषक ऋण अनुतोष से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का कोई बात बैंक द्वारा किसी कृषक को दी गयी वित्तीय सहायता पर लागू नहीं होगी।

साहूकारी तथा कृषक ऋण अनुतोष से संबंधित विधायनों से छूट

22–**(1)** तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्ता द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निमित्त बैंक के पक्ष में किया गया कोई बन्धक अथवा सृजित प्रभार ऐसे संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य पर बन्धनकारी होगा।

संयुक्त हिन्दू कुटुम्बों के प्रबंधकों द्वारा निष्पादित बंधक

(2) यदि बैंक के पक्ष में किये गये बन्धक अथवा सृजित प्रभार पर इस अधार पर कि वह संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के प्रबन्धक द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिये सृजित किया गया था जो कृषि प्रयोजन नहीं था, अथवा किसी अन्य आधार पर कोई आपत्ति की जाय, तो उसे सिद्ध करने का भार ऐसा अभिकथन करने वाले पक्षकार पर होगा।

23–हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 8 वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निमित्त किसी बैंक के पक्ष में बन्धक अथवा प्रभार के संबंध में इस परिष्कार के साथ लागू होगी कि उसमें न्यायालय के लिये अभिदेश को कलेक्टर अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत सहायक कलेक्टर का अभिदेश समझा जायगा ओर कलेक्टर अथवा ऐसे सहायक कलेक्टर के विरूद्ध अपील आयुक्त को की जायगी।

अधिनियम संख्या 32, 1956 की धारा, 8 का परिष्कृत रूप में लागू होना

24–इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों पर परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5 तथा 12 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

अधिनियम संख्या 36, 1963 की धारा 4, 5 तथा 12 का लागू होगा

25–(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम [जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में फीस विहित करने के कोई नियम भी हैं।][1] बना सकती है।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि पर्यन्त जो एक सत्र में अथवा एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकती है, रखे जायेंगे और यदि उक्त अवधि में दोनों सदन नियम में कोई परिष्कार करना चाहें अथवा यदि दोनों सदन सहमत हों कि नियम न बनाया जाय तो यह नियम तत्पश्चात् यथास्थिति, ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा अथवा प्रभावहीन हो जायेगा किन्तु ऐसे परिष्कार अथवा अभिशून्यन उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रभाव न डालेगा।

---

1. उ. प्र. अधिनियम संख्या 19, 1975 की धारा 18 द्वारा बढ़ाये गये।

[अनुसूची]

उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 6 (1) के अधीन घोषणा

चूँकि, मैं.. (आयु–....................................वर्ष...........................) आत्मज... निवासी........................ ....जिला...बैंक (.................................... .... शाखा) से वित्तीय सहायता के रूप में ....रूपये (..रूपये) की राशि प्राप्त करने का इच्छुक हूँ ;

और, चूंकि, उपर्युक्त बैंक...के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता के रूप में मुझे उपर्युक्त धनराशि देने को रजामन्द है ;

अतएव, मैं उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 6 (1) के अधीन यह घोषणा करता हूँ और स्वयं को तथा अपने वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों को निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध करता हूँ, अर्थात;–––

(1) मैं, उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनिमय, 1973 की धारा 2 (स) द्वारा यथा परिभाषित कृषक हूँ।

(2) मैं नीचे निदिष्ट भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति का भूमिधर। [* * *][1] /असामी सरकारी पट्टेदार/स्वामी हूँ अथवा मेरा नीचे निर्दिष्ट भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति में निम्नलिखित हित है–

(3) मैं उपर्युक्त बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये उस बैंक के पक्ष में उक्त भूमि या उसमें हित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर एतद्द्वारा प्रभार सृजित करता हूँ–

(4) मैं, वित्तीय सहायता की धनराशि का प्रतिसंदाय बैंक को ––––––––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित निम्नलिखित रीति से करूँगा–––––––––––

(5) यदि मैं ऊपर वर्णित रीति से भुगतान करने में असमर्थ रहता हूँ तो प्रभारित सम्पत्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और मैं बैंक के व्यय तथा अन्य परिव्यय और खर्चें का और उस व्यय का यदि कोई हो, तो बैंक को देय धनराशि की वसूली के लिये करना पड़े, देनदार होऊँगा।

(6) मैं वित्तीय सहायता की धनराशि केवल इसके पूर्व उल्लिखित प्रयोजनों के ही लिये व्यय करूंगा और उपयोग में लाऊंगा।

(7) इस घोषणा की अन्तर्वस्तुएं मेरी निजी जानकारी में सत्य है और इसका कोई भी भाग मिथ्या या गलत नहीं है।

---

1. उ. प्र. अधिनियम संख्या 25, 1979 की धारा 4 द्वारा निकाला गया।

बैंक के पक्ष में प्रभारित भूमि या उसमें हित अथवा अन्य अस्थावर सम्पत्ति का वर्णन

गाँव का नाम	परगना तथा तहसील का नाम	जिले का नाम	सर्वेक्षण संख्या/नगर सर्वेक्षण संख्या		सीमायें		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
			गाटा (प्लाट) संख्या	गाटा हिस्सा	दक्षिण–पूर्व	उत्तर–पश्चिम	

कर निर्धारण		लगभग मूल्य	विल्लंगम प्रकार/धनराशि	अभिसूचित यदि कोई हो
रुपया	पैसा			

इसके साक्ष्य में, मै श्री————————————————आज—————————————————वर्ष एक हजार नौ सौ ——————————————————में————————————————————————————— के————————————————दिन—— हस्ताक्षर करता हूँ।

साक्षी :–

निम्नलिखित की उपस्थिति में उपरिनामांकित द्वारा हस्ताक्षरित तथा परिदत्त––

(1)

(2)

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

समादर सहित उप–रजिस्ट्रार को घोषणा के अधीन सृजित प्रभार––के व्योरों को अपने कार्यालय में अभिलिखित करने के लिये अग्रसारित ।

प्रबंधक/एजेंट

————————————————**बैंक**——————————————

——————————————**स्थान**———————————————

समादर सहित प्रबन्धक/एजेंट———————————————— बैंक———————————को वापिस घोषणा के अधीन सृजित प्रभार को यथाविधि दाखिल कर लिया गया है।

उप–रजिस्ट्रार

....][1]

1. उ. प्र. अधिनियम संख्या 19, 1975 की धारा 19 द्वारा अनुसूची प्रतिस्थापित।